Date 26.7.2009

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 (श्रावण 5,1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,1987 (क्रमांक 20 सन् 1887) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक संकलित ऑडिट रिपोर्ट, पालन प्रतिवेदन (उत्तर), प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, शिवरीनारायण मेला हेतु शासन से आर्थिक सहयोग न मिलने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में इंटेकवेल का निर्माण नहीं किये जाने की ओर जलसंसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) रायपुर राजधानी सहित प्रदेश में उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सर्वश्री देवजी पटेल, गुरू रूद्रकुमार, रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री नंद कुमार पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य,चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 26 जुलाई,2009

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.